

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप- I) विभाग

क्रमांक:प.1 (3)कृषि - I/एम.सी./2016

जयपुर, दिनांक : 8/9/2016

:- अधिसूचना :-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2016 मौसम के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.07.2016 के बिन्दु संख्या 11 में वर्णित अनुसार स्थानिक आपदाओं (भू-स्खलन, ओला वृष्टि और जल प्लावन/भराव) व फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात एवं चक्रवाती वर्षा/बेमौसमी वर्षा से क्षति का व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर आंकलन करने हेतु बीमा कम्पनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. ब्लॉक स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी (AAO)
2. क्षेत्रीय गिरदावर (ILR)
3. बीमा कम्पनी द्वारा मनोनीत क्षति मूल्यांकनकर्ता
4. सम्बन्धित कृषक।

उक्त संयुक्त समिति अधिसूचना दिनांक 23.07.2016 में वर्णित अनुसार कार्य सम्पन्न करेगी।

(सांवर मूल वर्ग) 1
संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व विभाग

(डॉ ए.पी.सिंह)
उप शासन सचिव,
कृषि विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वैयक्तिक सचिव, मा. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
14. पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, कृषि, कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर।
16. समस्त सम्भागीय आयुक्त
17. समस्त जिला कलक्टर
18. निदेशक, उद्यान विभाग, पन्त कृषि भवन, जयपुर।
19. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सांगानेर, जयपुर।
20. उप सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, पन्त कृषि भवन, जयपुर।
21. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, नेहरू पलेस, टोक रोड, जयपुर।
22. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को भेजकर लेख है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
24. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि
25. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद
26. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, प्लाट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
27. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर।
28. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, टोक रोड, जयपुर।
29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एपीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अग्वादीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कर्नाट पलेस, दिल्ली।
30. मुख्य प्रबंधक, एपीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 98-सांघी उपासना टॉवर, अहिंसा सर्किल के पास, सी-स्कीम, जयपुर।
31. उप महाप्रबंधक यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि. क्षेत्रीय कार्यालय सहारा चैम्बर्स टोक रोड जयपुर-15
32. प्रबन्धक, स्काईमेट वैदर सर्विस प्रा.लि. 606, 6वां तल, काफ़्स आर्कड टावर, प्लान नम्बर-के-12, मालविया मार्ग सी-स्कीम, जयपुर
33. प्रबन्धक, एनसीएमएल, 351, द्वितीय तल नेमीसागर कालोनी, आर फर्नीचर हाउस, वैशाली नगर।
34. प्रबन्धक, इन्जन टेक्नॉ. प्रा. लि. जीसी-17, नीलगिरी काम्पलेक्स, आवास विकास-1, कल्याणपुर, कानपुर, (उत्तरप्रदेश-208017)

(डॉ ए.पी.सिंह)
उप शासन सचिव, कृषि